संख्या-233/2016/674जेपीआर/22-3-16-800(34)/2012

प्रेषक,

हरि नारायण गिरि,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

जिला मजिस्ट्रेट,
मेरठ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-3 ***लखनऊ: दिनांक: 24 जून, 2016***

विषय- आदर्श कारागार, लखनऊ के बंदी मोहन सिंह पुत्र स्व0 विचित्र सिंह, निवासी-डेरा भगवानपुर खादर, वर्तमान-तरवियतपुर शुमाली, थाना-किठौर, जनपद-मेरठ को पैरोल वृद्धि प्रदान करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि आदर्श कारागार, लखनऊ के बंदी मोहन सिंह पुत्र स्व0 विचित्र सिंह, निवासी-डेरा भगवानपुर खादर, वर्तमान-तरवियतपुर शुमाली, थाना-किठौर, जनपद-मेरठ को शासनादेश संख्या-156/2016/1740जेएल/22-3-16-800(34)/2012, दिनांक 28-04-2016 के क्रम में **मात्र 29 (उन्तीस) दिन की पैरोल वृद्धि** स्वीकृत की जाती है। शेष शर्ते यथावत रहेंगी।

भवदीय,

(हरि नारायण गिरि)
अनु सचिव।

संख्या-233/2016/674जेपीआर(1)/22-3-16-उक्तदिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महानिरीक्षक, कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें, उ0प्र0 लखनऊ।
2- वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, मेरठ।
3- वरिष्ठ अधीक्षक, आदर्श कारागार, लखनऊ।
4- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(हरि नारायण गिरि)
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in